राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक -एफ 7(572) परि/नियम/मु./2024/प्रोटोटाईप / 3074 जयपुर, दिनांक- 26-02-24

<u>कार्यालय आदेश 03../2024</u>

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के प्रावधानों के अनुसार वाहन निर्माता कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय जांच एजेन्सियों से वाहन की जांच करवाकर प्रोटोटाइप प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है। इस प्रोटोटाइप प्रमाण-पत्र के आधार पर वाहन निर्माता/डीलर्स को राज्य में पंजीयन हेतु पृथक से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक था।

वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक मॉडल एवं उसके वेरिएन्ट के मेक, मॉडल, चैसिस नम्बर, इंजन नम्बर आदि की सूचना होमोलोगेशन के माध्यम से VAHAN 4.0 पोर्टल पर वाहन निर्माता के स्तर पर ही इन्द्राज कर दी जाती है।

अतः इस प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऐसे वाहन जिनका डेटा होमोलोगेशन पोर्टल के द्वारा VAHAN 4.0 पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, को राज्य में पंजीयन हेतु पृथक से पंजीयन की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाता है।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा

क्रमांक -एफ 7(572) परि/नियम/मु./2024/प्रोटोटाईप / 3075-80 जयपुर, दिनांक- 26-02-24

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी (विभागीय वेबसाईट) आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)